

निःशक्तता प्रमाण-पत्र  
(DISABILITY CERTIFICATE)

उद्देश्य:—निःशक्तता की परिभाषा अनुसार किसी भी संवर्ग के 40% से अधिक निःशक्तता धारी व्यक्ति द्वारा शासन की संचालित योजनाओं/सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम निःशक्तता प्रमाण पत्र आवश्यक है। (निःशक्तजनों के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं, उपलब्ध सुविधाओं तथा रियायतों के लिए कृपया सामाजिक न्याय विभाग/समाज कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट देखें)

प्रक्रिया:—निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के लिए प्रत्येक जिले में जिला मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रत्येक माह के निर्धारित दिवसों में निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तिथि ज्ञात कर निर्धारित दिवस में निःशक्तता दर्शाते हुए 2 फोटो, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ हितग्राही को उपस्थित होने पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए जिला तहसील तथा ब्लाक स्तर पर शिविर लगाकर भी निःशक्तता/विकलांगता मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किया जाते हैं।

निःशक्तता का आकंलन तथा चिकित्सा प्रमाण पत्रों की प्रदायगी विभाग की सतत् कार्यवाही है।

## विकलांगता का प्रमाण पत्र प्ररूप

जिला मेडिकल बोर्ड  
जिला चिकित्सालय, ..... मध्य प्रदेश

### विकलांगता का प्रमाण-पत्र

फोटो

क्रमांक :

दिनांक :

हम जिला मेडिकल बोर्ड जिला.....के सदस्य यह प्रमाणित करते हैं कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
आत्मज/आत्मजा/पति/अभिभावक.....  
पता .....की आयु .....  
निवासी ..... दूरभाष क्रमांक ..... का परीक्षण किया और पाया कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... निम्नलिखित विकलांगता से पीड़ित है .....

1. अन्धता(दृष्टि बाधित)
2. दृष्टि क्षीणता।
3. कुष्ठ रोग।
4. वाक-श्रवण शक्ति ह्रास।
5. चलन निःशक्तता (अस्थि वाधित)।
6. मानसिक मंदता/रूगणता (रिटार्डेशन)
7. कारणवश जो अंग आहत हो गया है।

भारत सरकार के समाज कल्याण के गजट, नोटिफिकेशन क्रमांक d-2/83 एच.डब्ल्यू-III दिनांक 6.08.1986 तथा 1 जून 2001 के अनुसार इसकी विकलांगता का प्रतिशत.....शब्दों में ..... है तथा वह माइल्ड/मोडरेट/सीवियर/प्रोफाउन्ड/टोटल (विकलांगता) की श्रेणी में आते है/विकलांगता की श्रेणी में नहीं आते है यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... यह प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष /स्थाई तक के लिये वैध रहे।

### बोर्ड के सदस्य

विकलांग  
व्यक्ति के  
हस्ताक्षर

सदस्य  
जिला मेडिकल बोर्ड  
जिला चिकित्सालय .....  
मध्यप्रदेश

सदस्य  
(विषय विशेषज्ञ)  
जिला मेडिकल बोर्ड  
जिला चिकित्सालय .....  
मध्यप्रदेश

अध्यक्ष  
जिला मेडिकल बोर्ड  
जिला चिकित्सालय .....  
मध्यप्रदेश

- विकलांगता हेतु जिला मेडिकल बोर्ड, संभागीय अपीलीय मेडिकल बोर्ड तथा राज्य अपीली मेडिकल बोर्ड की गठन अधिसूचना।